निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

15-चकराता (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री/श्रीमती प्रीतम सिंह (नाम) ग्राम बृनाड बास्तील पो०ऑ बृनाड, तहसील त्यूणी, जिला देहरादून उत्तराखण्ड (पता) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान— महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। तारीख— 10 मार्च, 2022

रिटर्निंग ऑफिसार

विधान समा-15-चकराता (अ.ज.जा.)

हस्ताक्षर

Conduct of Elections Rules, 1961

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order) FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Uttarakhand</u> from <u>15-Chakrata (ST)</u> Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Pritam Singh

village brinad bastil p.o. brinad, tehsil tyuni, district dehradun uttarakhand [sponsored by Indian National Congress] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Maharane Ratab Sports College, Raibur Date: 10-03-2022 DEHRADUN

Returning Afficer

015-Chakrata(ST) Legislative Assembly Constituency